

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा

पत्रांक/ 2031

/2016-17

दिनांक 22.06.2016

विज्ञापित

शासनादेश संख्या: 3116/79-5-14(10)/2010 शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 27.09.2011 शासनादेश संख्या: 3465/79-5-2014(10)/2010 टी.सी. दिनांक 27 जून, 2014, शासनादेश संख्या: 3505/79-5-2014-14(10)/2010 टी.सी. दिनांक 01.07.2014 शासनादेश संख्या: 3599/79-5-2014-14(10)/10 टी.सी. शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 11.07.2014 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 1874-1902/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 विशेष अपील संख्या: 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2013 विशेष अपील संख्या: 4347-4375/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.12.2014 एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में दिनांक 11-02-2015 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों एवं पत्रांक/राशै0/प्रशिक्षु चयन-2011/7692-913/2015-16 दिनांक 14 मई 2015 एवं दिनांक 01-07-2015 की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी यथाआवश्यक 25 गुना श्रेणी/वर्गवार अभ्यर्थियों की नवमी कट ऑफ सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को दिनांक 28.06.2016 एवं 29.06.2016 को डायट, बांदा में प्रातः 10.00 बजे से अपने समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख यथा-शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 प्रमाण-पत्र/विकलांग प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा एक फोटोयुक्त शपथ-पत्र (जिसमें अभ्यर्थी का नाम, थाना सहित पता, टेलीफोन नं० एवं समस्त अभिलेखों की सत्यता, कूटचिह्न, फर्जी, दूषित अथवा किसी प्रकार का तथ्य गोपन पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ-साथ विधिक कार्यवाही किये जाने की सहमति का उल्लेख हो) के साथ उपस्थित होकर अपने प्रशिक्षु शिक्षक तैनाती/पदस्थापना आदेश प्राप्त करें। उक्त तिथि पर अभ्यर्थी उपस्थित हों, यदि अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो नियुक्ति पत्र दिया जाना संभव नहीं होगा तथा अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्रशिक्षु शिक्षक-2011 की नवमी कट ऑफ मेरिट वर्गवार निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वर्गवार श्रेणी	अन्तिम कट आफ	अन्तिम कट आफ जन्मतिथि
1	2	3	4
1	महिला पिछड़ा वर्ग विज्ञान	97	1987-10-03
2	पुरुष अनुसूचित जाति विज्ञान	90	1986-07-03
3	पुरुष पिछड़ा वर्ग विज्ञान	104	1984-09-22

नोट:- नियुक्ति आदेश जनपद बांदा में रिक्त के सापेक्ष मेरिट के क्रम में सीटों के प्रति वरीयता के आधार पर जारी किये जायेंगे। दिनांक 30-06-2016 को प्रातः 10.00 बजे से उपरोक्तानुसार समस्त चयनित अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांदा में तैनाती/पदस्थापन आदेश प्राप्त कर सकते हैं। तथा रिक्त पद के सापेक्ष मेरिट के क्रम में न आने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्र दिनांक 01.07.2016 को वापस ले सकते हैं। यदि अभ्यर्थी निर्धारित काउन्सलिंग अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

पृ०सं०/ 2031 /2015-16 तददिनांक

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बांदा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को जनपदीय वेबसाइट (banda.nic.in) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा